न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 01 / 2026	2026 / 35	06.02.2025	22.04.2026

1– फारूख पुत्र इस्लामूदीन जाति मेव निवासी मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल– तिजारा।
अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 19.03.2025 नामान्तकरण संख्या 2055 वाके ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

उपस्थित–
01. श्री राजेश कुमार शर्मा –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2055 निर्णय दिनांक 19.03.2025 वाके ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 398 रकबा 0.1100 चाही ऐ, 480 रकबा 0.1600 है0 चाही ऐ, किता 2 रकबा 0.2700 है0 खाता संख्या 136 में से खातेदार कालूसिंह का 1 / 6 भाग व खातेदार बबलीकोर का 1 / 12 भाग अर्थात कुल खाते का 1 / 4 भाग अर्थात कुल रकबा 0.0675 है0 व आराजी खसरा न0 255 रकबा 0.6300 है0 ढहरी 2 में से खातेदार कालूसिंह का 29 / 300 भाग सालिम अर्थात रकबा 0.0608 है0 खाता संख्या 265 कुल रकबा 0.1284 है0 रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिफल राशि अदा कर दिनाक 23.08.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 614 में पृष्ट संख्या 17 कंम संख्या 202403359101541 के द्वारा खरीद किया हुआ है, तथा कब्जा आराजी पर बरोज बयनामा से अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा मौके पर फसल काश्त की हुई है। विक्रेतागण का कोई कब्जा काश्त बाद बेचान नही है। बयनामा दिनाक 23.08.2024 के आधार पर हल्का पटवारी मोठूका द्वारा नामान्तकरण संख्या 2055 दिनाक 19.02.2025 को अपीलान्ट द्वारा खरीद शुदा आराजी का दर्ज किया जिसे रेस्पोडेन्ट तहसीलदार द्वारा बिना किसी युक्ति–युक्त कारण के दिनाक 19.03.2025 को अस्वीकार करते हुऐ खारिज कर दिया। तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय एक पक्षीय है, अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है, और न ही बयनामा के मुताबिक मौका कब्जा की जॉच की बाला–बाला नामान्तकरण अस्वीकार करते हुऐ जमाबन्दी में नोट अंकित कर दिया जिसका ज्ञान अपीलान्ट को दिनाक 13.05.2025 को ई–मित्र सेन्टर से नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर हुआ। इसके उपरान्त अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट से मिलकर निर्णय को पुर्नअवलोन करने व नामान्तकरण को स्वीकार करने हेतु प्रार्थना की। जिस पर समय अभाव बताते हुऐ 10–15 दिवस बाद मिलने का आदेश दिया किन्तु बार–बार निवेदन करने पर भी नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार नही करने पर अपीलान्ट ने दिनाक 28.01.2026 को नकल नामान्तकरण प्राप्त की और बाद सलाह कानूनी प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 13.05.2025 को नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर हुई तत्पश्चात अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज.)

के समक्ष पुर्नअवलोन हेतु आवेदन किया गया किन्तु बार–बार मिलने पर भी नामान्तकरण स्वीकार नही किये जाने पर दिनाक 28.01.2026 पटवारी हल्का से नामान्तरण की नकल प्राप्त की गयी। दिनाक 19.03.2025 से होने जानकारी दिनाक 13.05.2025 व प्राप्त करने नकल दिनाक 28.01.2026 से प्रस्तुत करने अपील तक का समय कन्डोन किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2055 वाके ग्राम मुसाखेडा तहसील किशनगढबास दिनाक 19.03.2025 के विरूद्व दिनाक 06.02.2026 को पेश की गयी है, जो करीब 10 माह पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, हम अपील का विधिवत निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, बल्कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 19.03.2025 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 13.05.2025 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 398 रकबा 0.1100 चाही ऐ, 480 रकबा 0.1600 है0 चाही ऐ, किता 2 रकबा 0.2700 है0 खाता संख्या 136 में से खातेदार कालूसिंह का 1/6 भाग व खातेदार बबलीकोर का 1/12 भाग अर्थात कुल खाते का 1/4 भाग अर्थात कुल रकबा 0.0675 है0 व आराजी खसरा न0 255 रकबा 0.6300 है0 ढहरी 2 में से खातेदार कालूसिंह का 29/300 भाग सालिम अर्थात रकबा 0.0608 है0 खाता संख्या 265 कुल रकबा 0.1284 है0 रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिफल राशि अदा कर दिनाक 23.08.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 614 में पृष्ट संख्या 17 क्रंम संख्या 202403359101541 दिनाक 23.08.2024 के द्वारा खरीद किया हुआ है, तहत अदालत के समक्ष बयनामा दिनाक 23.08.2024 के आधार पर हल्का पटवारी मोठूका द्वारा नामान्तकरण संख्या 2055 दिनाक 18.02.2025 को दर्ज किया किन्तु तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा Submitted Documents Are Not Complete Enough To Consider The Case For Approval Auto Forwarded From Panchayat Level, No Clarity And Submission Regarding Delay In Application Submission For Mutation As Registration Is Done Approximately 07 Month Ago And It Is Not possible To Resend The Case To Patwari Again For Recheck And Aut Forwarded Frm Panchayat So In The Suspicius Case There Is No Clarity So Not Considered For approval बिना किसी युक्ति–युक्त कारण के दिनाक 19.03.2025 को अस्वीकार करते हुऐ खारिज कर दिया। पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 2055 वाके ग्राम मुसाखेडा निर्णय दिनाक 19.03.2025 निरस्त किया है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण की पुनः जॉच कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिवत पुनः निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०)